कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या–161/16 (पंचायत सर्फुद्दीनपुर, प्रखंड–बोचहाँ) तिथि–23.01.2017
उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

दिनांक–17.12.2016 के 'दैनिक जागरण' के मुजफ्फरपुर नगर संस्करण में छपी खबर के आधार पर स्वतः संज्ञान ली गयी। इसमें बोचहाँ प्रखंड के सर्फुद्दीनपुर पंचायत के सलहा गाँव में अमर सिंह स्थान के प्रांगण का है जहाँ मनरेगा मजदूर के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। मनरेगा मजदूरों ने शिवदुलारी देवी, अकली देवी आदि सहित दर्जनों मजदूरों ने बताया कि एक रोज पूर्व मनरेगा से कार्य के सूचना पर जब कार्य स्थल पर गए तो काम करने से मना कर दिया गया कहा गया कि यहाँ मजदूरों की जरूरत नहीं है। अजय कुमार, गणेश पंकज, लक्ष्मी सहनी, रामबाबू सहनी, शैली देवी आदि सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि मनरेगा का कार्य जॉब कार्डधारी मजदूरों से कराना था पर यहाँ रातों–रात जे0सी0बी0 एवं ट्रैक्टर से मिट्टी भराई कार्य करा लिया गया है। मजदूर सोनेलाल सहनी ने बताया कि चार दिन से कार्य कर रहे हैं। उनके साथ दो महिला सहित छः मजदूर मिट्टी भराई कार्य पर है। इधर पंचायत रोजगार सेवक अखलेश्वर कुमार ने बताया कि लगभग एक लाख की योजना है तथा इसमें करीब 41 से 42 मजदूर कार्य किए हैं।

इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, बोचहाँ, मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक, सर्फुद्दीनपुर को नोटिस की गयी है। इसके जवाब में मुखिया ग्राम पंचायत राज सर्फुद्दीनपुर ने दिनांक–31.12.2016 के अभ्यावेदन में प्रतिवेदित किया है कि सर्फुद्दीनपुर पंचायत के सलहा ग्राम स्थित अमर सिंह स्थान पर मनरेगा के तहत मिट्टी भराई कार्य मजदूरों ने किया है। लेकिन सुनियोजित ढ़ंग से दैनिक जागरण के स्थानीय रिपोर्टर द्वारा गलत खबर प्रकाशित किया गया है कि मिट्टी भराई का कार्य जे0सी0बी0 एवं ट्रैक्टर से करवाया गया है। मुखिया ने रिपोर्टर पर पत्रकारिता का भय दिखलाने एवं विकास कार्य को बाधित करने का आरोप लगाया है। इस बात की पुष्टि उक्त अभ्यावेदन में संलग्न 114 मजदूरों के हस्ताक्षर/निशान से हो जाती है। कार्य मजदूरों द्वारा किए जाने की पुष्टि संलग्न तेईस फोटोग्राफ्स से भी होती है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या सर्फुद्दीनपुर पंचायत के सलहा गाँव स्थित अमर सिंह स्थान पर मिट्टी भराई का कार्य जे0सी0बी0 एवं ट्रैक्टर से किया गया है या मजदूरों द्वारा ?

–: निष्कर्ष :–

दिनांक–31.12.2016 के अभ्यावेदन में 114 मजदूरों के हस्ताक्षर/निशान एवं फोटोग्राफ्स से यह स्पष्ट होता है कि मिट्टी भराई का कार्य जे0सी0बी0 एवं ट्रैक्टर से न होकर मजदूरों द्वारा किया गया है। अतः यह वाद खारिज की जाने योग्य है।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है।

ह0/
लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 06 / मुज0, दिनांक– 23/01/2017

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

रमेन्द्र नाथ राय
23.1.17
लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/DRDA/Damodar/Lokpal app...